

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)  
पीठारीन अधिकारी :- दिनेश कुमार गीणा आर.ए.एस.

9

प्रकरण सं० 181/2025

दायर दिनांक: 16.06.2025

उनवान

गोवर्धनलाल पि. किशनलाल जाति मेहर नि. सिरपोई तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिड़ावा जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 18 / 7 / 2025

वादी गोवर्धनलाल पि. किशनलाल जाति मेहर नि. सिरपोई तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, गोवर्धनलाल का आधारकार्ड (812330295433), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (KYD1299155), जनाधार कार्ड (4575424707), पेनकार्ड (BYXPL4888F), पंजाब नेशनल बैंक खाता पासबुक, ग्राम सिरपोई का नामा. सं. 721 दिनांक 07.02.1997 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र क्रमांक 19 दिनांक 18.06.2007 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिरपोई तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 381 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम व जाति) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम सिरपोई पटवार मण्डल सिरपोई तहसील सुनेल	381	गोरधन पि. किशनलाल जाति बलाई	गोवर्धनलाल पि. किशनलाल जाति मेहर

क्रमांक:- राजस्व/2025/

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)  
दिनांक 18/7/2025

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

